(3)

21.10.22 वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 08.03.2022 को प्रस्तुत प्रा.पत्र धारा 151 CPC पर बहस अधिवक्ता उभय पक्षगण सुनी गयी। अधिवक्ता प्रतिवादीगण का कथन है कि वादिया द्वारा यह दावा जिस विक्रय पत्र के आधार पर स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया है। वह विक्रय पत्र न्यायालय श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश धौलपुर द्वारा प्रकरण नत्थी/सावित्री बनाम निर्मला देवी में पारित निर्णय दिनांक 02.05.2019 के द्वारा निरस्त किया जा चुका है। जिसके फलस्वरूप वादिया द्वारा प्रस्तुत दावा निराधार हो चुका है और खारिज करने योग्य है। उन्होंने वादिया का वाद इसी स्टेज पर खारिज करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता वादिया का कथन है कि वादिया की ओर से नि.दि. 02.05.2019 के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर दी है जो विचाराधीन है।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)

उक्त अपील में निर्णय यदि वादिया के पक्ष में होता है तो वादिया को पुनः वाद दायर करने की अनुमति के साथ दुबारा को स्थापित किया जाता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इस सम्बन्ध में अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। और निर्णय के विरुद्ध अपील विचाराधीन होना स्वीकार किया गया।

हमने बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया एवं प्रा. पत्र 151 CPC तथा सिविल न्यायालय सीमान अपर जिला न्यायालय धौलपुर के नि.दि. 02.05.2019 का अवलोकन किया निर्णय दि. 2.5.2019 में विवादित आराजी वही है जो प्रस्तुत राजस्व वाद में है तथा विवाद भी समान पक्षकारान के मध्य है। मा. न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में पारित किया गया है तथा दोनों पक्षों के अभिभाषक द्वारा उक्त निर्णय दि. 02.05.2019 के विरुद्ध अपील विचाराधीन होना स्वीकार किया है ऐसी स्थिति में राजस्व वाद में वर्णित आराजी के संबंध में किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है और हम प्रा. पत्र 151 CPC को इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं कि सक्षम न्यायालय में विचाराधीन अपील में यदि निर्णय वादिया के पक्ष में होता है तो वह अपने अधिकारों की घोषणा के लिए पुनः वाद दायर करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

54/17 दीवानी निर्मला देवी बनाम सावित्री

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जा...
	परिवादीगण 151 CPC इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि अपीलीय न्यायालय में यदि निर्णय वादिया के पक्ष में होता है तो वह पुनः वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेगी तथा प्रस्तुत प्रकरण इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर दर्ज जाकर दाखिल दफ्तर हो।	
	उपखण्डाधिकारी धौलपुर (राज0)	

Scanned with AnyScanner